दिल्ली विश्वविद्यालय की विद्या-परिषद

*367. **श्री राम सहाय :** क्या शिक्षा तथा युवा सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री वी० वी० गिरी ने इस प्रश्न पर विचार करने के लिये कि दिल्ली प्रशासन के कालेजों पर प्रमुख नियंत्रण दिल्ली प्रशासन का हो या दिल्ली विश्वविद्यालय की विद्या परिषद का, केन्द्रीय शिक्षा मंत्री, मुख्य कार्यकारी पार्षद, उपराज्यपाल और उपकुलपति की एक समिति बनाये जाने का सुझाव दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की समिति बनाई गई थी और क्या उसने इस संबंध में कोई सिफारिशें की हैं; यदि हां तो यह सिफारिशें क्या हैं ?

†[A ACADEMIC COUNCIL OF DELHI UNIVERSITY

*367. SHRI RAM SAHAI : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri V. V. Giri had suggested the formation of a Committee consisting of the Union Education Minister, Chief Executive Councillor, Lieutenant Governor and the Vice-Chancellor to go into the question whether the Delhi Administration or the Academic Council of the University of Delhi should have dominant control over the colleges of the Delhi Administration ; and

(b) if so, whether such a Committee had been formed and whether it has made any recommendations in this regard ; if so, what are those recommendations ?]

शिक्षा तथा युवा सेवा मंत्री (प्रो० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

†[THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (PROF. V. K. R. V. RAO) : (a) No, Madam.

(b) Does not arise.]

†[ ] English translation.

†मनीपुर में कबो घाटी से वसूल की गई मालगुजारी

*255. **श्री सुन्दर सिंह भण्डारी :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर स्थित कबो घाटी का क्षेत्रफल कितना है तथा उस क्षेत्र से किस वर्ष तक कितनी सालाना मालगुजारी वसूल होती रही ; और

(ख) इस व्यवस्था में कब से परिवर्तन किया गया और उसके क्या कारण हैं ।

‡[REVENUE REALISED FROM KABO VALLEY IN MANIPUR

*255. SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) what is the area of Kabo Valley which is situated in Manipur and what amount of revenue was being realised from that area annually and until which year ; and

(b) when was this arrangement changed and what are the reason therefor ?]

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) कबो घाटी मनीपुर में स्थित नहीं है । 1834 में ब्रिटिश सरकार ने बर्मा के राजा को कबो घाटी फिर से लौटाने का निर्णय किया था । इस क्षेत्र की क्षति-पूर्ति के रूप में ब्रिटिश सरकार ने मनीपुर के शासक को लगभग 6,270 रुपये की राशि प्रतिवर्ष देने का वचन दिया था। शक्ति हस्तांतरण के पश्चात् बर्मा सरकार ने भारत सरकार को यह राशि देनी जारी रखी तथा भारत सरकार यह राशि मनीपुर सरकार को भेजती रही । तथापि, मनीपुर राज्य के भारतीय संघ में शामिल होने पर मनीपुर राज्य की संपत्ति भारत सरकार की संपत्ति बन गई । अतः 15-9-1949 से इस संबंध में मनीपुर सरकार को कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है ।

‡[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (b) Kabow Valley is not situated

†Transferred from the 31st July, 1969.
‡English translation.

in Manipur. In 1834 the British Government decided to restore the Kabo Valley to the King of Burma. In compensation for the loss of the territory, the British Government undertook to pay to the Ruler of Manipur a sum equivalent to Rs. 6,270 per annum. After the transfer of power, the Government of Burma continued to pay the amount to the Government of India who in turn passed this amount to the Manipur State. On the merger of Manipur State in the Indian Union, however, thr assets of Manipur State became the assets of the Government of India. Since 15-9-1949, no payments on this account are therefore, being made to the Government of Manipur.]

राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्ध

***368. श्री पीताम्बर दास :**
डा० भाई महावीर :
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
श्री सुन्दर सिंह भंडारी :
श्री प्रेम मनोहर :
श्री रतन लाल जैन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के मामले में राजभाषा अधिनियम, 1963 के खण्ड 7 को लागू कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और इसे उन पर कब तक लागू कर दिया जायेगा ।

†[CONTENTS OF THE OFFICIAL LANGUAGES ACT, 1963

*368. SHRI PITAMBER DAS :
DR. BHAI MAHAVIR :
SHRI J. P. YADAV :
SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI :
SHRI PREM MANOHAR :
SHRI RATTAN LAL JAIN :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether clause 7 of the Official Languages Act, 1963 has been made applicable in relation to the Supreme Court and High Courts ; and

(b) if not, what are the reasons therefor and by when it would be made applicable to them ?]

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, महोदया ।

(ख) राजभाषा अधिनियम की धारा 7 का हवाला उच्चतम न्यायालय से नहीं केवल उच्च न्यायालयों से है । उच्च न्यायालय के फैसलों, डिक्रियों या आदेशों में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी या किसी अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग प्रारंभ करने का कार्य राज्य सरकार का है । यह एक महत्वपूर्ण मामला है और राज्य सरकारों द्वारा संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से विभिन्न समस्याओं की जांच करना आवश्यक है । सभी राज्य सरकारों के विचारों पर विचार करने के बाद अंतिम निर्णय किया जायेगा ।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) No, Madam.

(b) Section 7 of the official Languages Act does not refer to the Supreme Court but only to the High Courts. The initiative for introducing optional use of Hindi or other official language in addition to English in judgements, decrees or orders passed or made by a High Court lies with the State Government. This is an important matter and various implications require examination by the State Governments in consultation with the respective High Courts. A final decision will be taken after taking into consideration the views of all the State Governments.]

JAN SANGH'S RESOLUTION OR SETTING UP ANOTHER S. R. C.

*369. SHRI ARJUN ARORA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to a resolution passed by the Jan Sangh recently for setting up another States Reorganisation Commission ; and

(b) if so, what is the reaction of Government thereto ?

†[ ] English translation.